पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-559
दिनांक 04.03.2025

जोन- पश्चिमी /थाना तालकटोरा

आपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा मु0अ0सं0 189/14 धारा 363/366 भादंवि थाना तालकटोरा लखनऊ से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को 5-5 वर्ष के कारावास और 5,000-5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

01-संक्षिप्त विवरण-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालय मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय मे सघन पैरवी के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) तथा सहायक पुलिस आयुक्त बाजारखाला के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना-तालकटोरा के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार का0 1235 सूर्यपाल यादव व का0 रोहित पाल के द्वारा अथक प्रयास व प्रभारी पैरवी करते हुए मा0 न्यायालय ADJ/POCSO III के निर्णायक फैसला दिनांक 04.03.2025 को सम्बन्धित मु0अ0सं0 189/14 धारा 363/366 भादंवि थाना तालकटोरा लखनऊ के अभियुक्तों 01-राजू पुत्र नन्हा कश्यप निवासी सरीपुरा आलमनगर थाना तालकटोरा लखनऊ 02-सोनू पुत्र पप्पू निवासी सैदनपुर थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी को दोषसिद्ध करते हुए दोनों अभियुक्तों को 05-05 वर्ष कारावास व 5,000-5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

02-अभियुक्तों का विवरण-

01-राजू पुत्र नन्हा कश्यप निवासी सरीपुरा आलम नगर थाना तालकटोरा लखनऊ।
02-सोनू पुत्र पप्पू निवासी सैदनपुर थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी

03-अभियोग का विवरण-

01- मु0अ0सं0 189/14 धारा 363/366 भादंवि थाना तालकटोरा लखनऊ

04-फैसला पर्चा

उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुये 05-05 वर्ष कारावास व 5,000-5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

04-पैरवीकर्ता-

01-थाना प्रभारी कुलदीप दुबे थाना तालकटोरा लखनऊ
02-का0 1235 सूर्य पाल यादव (पैरोकार) थाना तालकटोरा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-558

दिनांक-04.03.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

मोबाइल स्नैचिग की घटना का 72 घंटें के अन्दर किया गया सफल अनावरण।

- **02 शातिर मोबाइल स्नैचर्स/लुटेरों को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से लूटे गये एक अदद आईफोन समेत 02 अदद मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद।**
- **अपराध शाखा लखनऊ व थाना वजीरगंज की संयुक्त पुलिस की सफलता।**

01-सक्षिप्त विवरण-

श्रीमान् पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त पश्चिमी के निर्देशन व अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी व सहायक पुलिस आयुक्त चौक के पर्यवेक्षण एवं कुशल मार्गदर्शन मे प्रभारी निरीक्षक श्री दिनेश चन्द्र मिश्र के दिशा निर्देशन मे दिनांक 28.02.2025 को वादी मुकदमा श्री आषीश मिश्रा का गुलाब टाकीज के सामने एक्टिवा स्कूटी से दों लड़को द्वारा आई फोन छीन कर ले जाने के सम्बन्ध में वादी मुकदमा की तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0059/2025 धारा 304 बीएनएस थाना वजीरगंज लखनऊ पंजीकृत किया गया था।

जिसमें शीघ्र गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु उच्चाधिकारियो द्वारा दिये गये दिशा निर्देशो के क्रम मे **श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय की क्राइम ब्रांच टीम व थाना वजीरगंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 72 घण्टों के अन्दर करीब 200 सीसीटीवी कैमरों को चेक करते हुये व** मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 04.03.2025 को शहीद स्मारक के पास से अभियुक्तगण 1. तैय्यब पुत्र स्व मो0 ताहिर उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मदीना कैन्टीन के बगल वाली गली मे यूनुस की विल्डिंग के चौथे फ्लोर मे फ्लैट न0 2 तुडियागंज आशफाबाद रोड थान चौक जनपद लखनऊ 2. मो0 सद्दाम पुत्र स्व0 मो0 सलीम उम्र करीब 19 वर्ष निवासी रिमझिम पैलेस तुडियागंज थाना बजारखाला जनपद लखनऊ स्थाई पता आला पुर मजार के सामने गली मे जनपद बाराबंकी **को** 01 अदद आई फोन लूट, 01 अदद अन्य मोबाइल फोन लूट का व एक अदद स्कूटी न0 UP32 HH8155 व रंग स्लेटी चोरी की के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबन्ध मे आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण—

01-तैय्यब पुत्र स्व मो0 ताहिर उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मदीना कैन्टीन के बगल वाली गली मे यूनुस की विल्डिंग के चौथे फ्लोर मे फ्लैट न0 2 तुडियागंज आशफाबाद रोड थान चौक जनपद लखनऊ।

02-मो0 सद्दाम पुत्र स्व0 मो0 सलीम उम्र करीब 19 वर्ष निवासी रिमझिम पैलेस तुडियागंज थाना बजारखाला जनपद लखनऊ स्थाई पता आला पुर मजार के सामने गली मे जनपद बाराबंकी।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 561
दिनांक 04.03.2025

जोन-पश्चिमी/ कोतवाली दुबग्गा

- **राह चलते टेम्पो मे चोरी करने वाली महिलाओं को जनता के सहयोग से किया गया गिरफ्तार।**
- **चोरी किये आभूषण बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

आज दिनांक 04.03.2025 को वादिनी मुकदमा श्रीमती सोनी पत्नी सागर राजपूत निवासी बल्दीखेडा थाना पारा लखनऊ मय परिवारीजनों के साथ मय 02 नफर अभियुक्तागण के उपस्थित थाना आयी व एक किता प्रार्थना पत्र बावत प्रार्थिनी मय परिवारी जन अपने घर थाना क्षेत्र पारा से कानपुर बाईपास दुबग्गा पर टेम्पो से आते समय टेम्पो मे पूर्व मे बैठी अभियुक्तागण 1.राधा पत्नी सूरज निवासिनी ग्राम छईसा थाना छाईसवाला जिला फरीदबाद राज्य हरियाणा उम्र करीब 30 वर्ष 2. रूवी पत्नी विनोद निवासिनी ग्राम छईसा थाना छाईसवाला जिला फरीदबाद राज्य हरियाणा उम्र करीब 35 वर्ष द्वारा प्रार्थिनी के बैग से सारा जेवर चोरी कर लेने तथा शक होने पर प्रार्थिनी व परिवारीजनों द्वारा महिलाओं की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से बरामद प्रार्थिनी के जेवर प्राप्त होने पर पकड़ कर थाने लाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया।

जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 0094/2025 धारा 303(2)/317(2) भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस),2023 पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तार शुदा अभियुक्ता गण उपरोक्त को सुपुर्दगी मे लेकर पुनः गिरफ्तार करते हुए फर्द बरामदगी / गिरफ्तारी तैयार की गयी तथा अभियुक्ता गण को न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया एवं अभियुक्तागण से बरामद माल को सील सर्व मोहर किया गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

1. राधा पत्नी सूरज निवासिनी ग्राम छईसा थाना छाईसवाला जिला फरीदबाद, हरियाणा उम्र करीब 30 वर्ष
2. रूवी पत्नी विनोद निवासिनी ग्राम छईसे थाना छाईसवाला जिला फरीदबाद, हरियाणा उम्र करीब 35 वर्ष

03- पंजीकृत अभियोगः

01-मु0अ0सं0 0094/2025 धारा 303(2)/317(2) भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस),2023

04- बरामदगी विवरणः—

- 01 अदद पीली की 03 ढोले की झुमकी
- 01 अदद मंगलसूत्र लाकेट पीली धातु का
- 01 अदद सफेद धातु की कमर पेटी
- 01 अदद पीली धातु का हार।

04-बरामदगी का विवरण-

- एक अदद मांग टीका पीली धातु
- एक जोडी पाजेब सफेद धातु
- चार अदद बिछुआ सफेद धातु नग लगे हुए
- 500-500 के कुल 36 नोट कुल 18,000/-रूपये नगद बरामद

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 श्री हुसैन अब्बास थाना ठाकुरगंज लखनऊ
- उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र सिंह थाना ठाकुरगंज लखनऊ
- का0 शिवम सिंह थाना ठाकुरगंज लखनऊ
- का0 आकाश कुमार थाना ठाकुरगंज लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-557

दिनांक-04-03-2025

जोन- पश्चिमी/थाना- ठाकुरगंज

- **घर में घुसकर चोरी करने वाले 01 शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार।**
- **चोरी किये कीमती जेवरात (अनुमानित मूल्य 01 लाख रूपये) व 18,000/-रूपये नगद बरामद।**
- **थाना ठाकुरगंज पुलिस की सफलता।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.02.2025 को वादिनी मुकदमा द्वारा सूचना दी गयी थी कि वह बीती रात्रि अपने परिवारीजन के साथ भान्जे की शादी की तैयारी के लिये भान्जे के घर पर गयी थी तभी किसी नें इस बात का फायदा उठाते हुए उसके घर से 18,000/- रूपये नगद व सोनें चाँदी के जेवरात चोरी कर लिये ।

पुलिस द्वारा सूचना को संज्ञानित लेते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 73/2025 अंतर्गत धारा-305(ए)/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया। जिसका संज्ञान लेते हुए ठाकुरगंज की पुलिस टीम द्वारा दिनांक 03.03.2025 को मुखबिर खास की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में घटना कारित करने वाले अभियुक्त नसीम उर्फ टेन्ची पुत्र स्व0 भूरे निवासी राधाग्राम पार्क के पास थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष को मुकदमा उपरोक्त में चोरी गये माल के साथ मिश्रीबाग बन्धा थाना क्षेत्र ठाकुरगंज लखनऊ के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से एक अदद मांग टीका पीली धातु, एक जोडी पाजेब सफेद धातु, चार अदद बिछुआ सफेद धातु नग लगे हुए व 500-500 के कुल 36 नोट कुल 18,000/-रूपये नगद बरामद हुए। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है यह पूर्व में भी चोरी की घटना कारित कर चुका है। अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

02-नाम पता अभियुक्तगण –

01-नसीम उर्फ टेन्ची पुत्र स्व0 भूरे निवासी राधाग्राम पार्क के पास थाना ठाकुरगंज लखनऊ उम्र करीब 21 वर्ष

03-अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0- 73/2025 धारा-305(ए)/331(4) बीएनएस थाना ठाकुरगंज लखनऊ

अपराधिक इतिहास

01-मु0अ0सं0 948/2016 धारा 354(ग)/354(घ) भादवि व 11(1)/12 पॉक्सो एक्ट

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-558
दिनांक-04.03.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-वजीरगंज

मोबाइल स्नैचिग की घटना का 72 घंटें के अन्दर किया गया सफल अनावरण।

- 02 शातिर मोबाइल स्नैचर्स/लुटेरों को किया गया गिरफ्तार।
- कब्जे से लूटे गये एक अदद आईफोन समेत 02 अदद मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद।
- अपराध शाखा लखनऊ व थाना वजीरगंज की संयुक्त पुलिस की सफलता।

01-सक्षिप्त विवरण-

श्रीमान् पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त पश्चिमी के निर्देशन व अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी व सहायक पुलिस आयुक्त चौक के पर्यवेक्षण एवं कुशल मार्गदर्शन मे प्रभारी निरीक्षक श्री दिनेश चन्द्र मिश्र के दिशा निर्देशन मे दिनांक 28.02.2025 को वादी मुकदमा श्री आषीश मिश्रा का गुलाब टाकीज के सामने एक्टिवा स्कूटी से दों लड़को द्वारा आई फोन छीन कर ले जाने के सम्बन्ध में वादी मुकदमा की तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0059/2025 धारा 304 बीएनएस थाना वजीरगंज लखनऊ पंजीकृत किया गया था।

जिसमें शीघ्र गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु उच्चाधिकारियो द्वारा दिये गये दिशा निर्देशो के क्रम मे **श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय की क्राइम ब्रांच टीम व थाना वजीरगंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 72 घण्टों के अन्दर करीब 200 सीसीटीवी कैमरों को चेक करते हुये व** मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 04.03.2025 को शहीद स्मारक के पास से अभियुक्तगण 1. तैय्यब पुत्र स्व मो0 ताहिर उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मदीना कैन्टीन के बगल वाली गली मे यूनुस की विल्डिंग के चौथे फ्लोर मे फ्लैट न0 2 तुडियागंज आशफाबाद रोड थान चौक जनपद लखनऊ 2. मो0 सद्दाम पुत्र स्व0 मो0 सलीम उम्र करीब 19 वर्ष निवासी रिमझिम पैलेस तुडियागंज थाना बजारखाला जनपद लखनऊ स्थाई पता आला पुर मजार के सामने गली मे जनपद बाराबंकी **को** 01 अदद आई फोन लूट, 01 अदद अन्य मोबाइल फोन लूट का व एक अदद स्कूटी न0 UP32 HH8155 व रंग स्लेटी चोरी की के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबन्ध मे आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण—

01-तैय्यब पुत्र स्व मो0 ताहिर उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मदीना कैन्टीन के बगल वाली गली मे यूनुस की विल्डिंग के चौथे फ्लोर मे फ्लैट न0 2 तुडियागंज आशफाबाद रोड थान चौक जनपद लखनऊ।

02-मो0 सद्दाम पुत्र स्व0 मो0 सलीम उम्र करीब 19 वर्ष निवासी रिमझिम पैलेस तुडियागंज थाना बजारखाला जनपद लखनऊ स्थाई पता आला पुर मजार के सामने गली मे जनपद बाराबंकी।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-559
दिनांक 04.03.2025

जोन- पश्चिमी /थाना तालकटोरा

आपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा मु0अ0सं0 189/14 धारा 363/366 भादंवि थाना तालकटोरा लखनऊ से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को 5-5 वर्ष के कारावास और 5,000-5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

01-संक्षिप्त विवरण-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालय मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय मे सघन पैरवी के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) तथा सहायक पुलिस आयुक्त बाजारखाला के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना-तालकटोरा के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार का0 1235 सूर्यपाल यादव व का0 रोहित पाल के द्वारा अथक प्रयास व प्रभारी पैरवी करते हुए मा0 न्यायालय ADJ/POCSO III के निर्णायक फैसला दिनांक 04.03.2025 को सम्बन्धित मु0अ0सं0 189/14 धारा 363/366 भादंवि थाना तालकटोरा लखनऊ के अभियुक्तों 01-राजू पुत्र नन्हा कश्यप निवासी सरीपुरा आलमनगर थाना तालकटोरा लखनऊ 02-सोनू पुत्र पप्पू निवासी सैदनपुर थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी को दोषसिद्ध करते हुए दोनों अभियुक्तों को 05-05 वर्ष कारावास व 5,000-5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

02-अभियुक्तों का विवरण-

01-राजू पुत्र नन्हा कश्यप निवासी सरीपुरा आलम नगर थाना तालकटोरा लखनऊ।
02-सोनू पुत्र पप्पू निवासी सैदनपुर थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी

03-अभियोग का विवरण-

01- मु0अ0सं0 189/14 धारा 363/366 भादंवि थाना तालकटोरा लखनऊ

04-फैसला पर्चा

उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुये 05-05 वर्ष कारावास व 5,000-5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

04-पैरवीकर्ता-

01-थाना प्रभारी कुलदीप दुबे थाना तालकटोरा लखनऊ
02-का0 1235 सूर्य पाल यादव (पैरोकार) थाना तालकटोरा लखनऊ